तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
25.09.2024	पत्रावली पेश हुयी। वकील अपीलाण्ट उपस्थित। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील SUBJECT TO LIMITATION दर्ज रजिस्टर की जावें। वकील अपीलाण्ट ने एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया। सुना गया। वकील अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में पुत्र ने पिता के विरूद्ध अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा का दावा किया है एवं उक्त दावे के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई करते हुये अपीलाधीन आदेश से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी है, उक्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा केवल रैस्पो0 संख्या 01 के विवादित आराजी में बनने वाले हिस्से तक ही जारी की गयी है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा का नोट सम्पूर्ण जमाबन्दी पर अंकित कर दिया गया है। जिससे अपीलाण्ट के हित प्रभावित हो रहे हैं। अतः अपीलाण्ट के हिस्से तक अस्थाई निषेधाज्ञा के नोट को हटाये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0 संख्या 01 दरब सिंह के विवादित आराजी में बनने वाले हिस्से तक विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश सुस्पष्ट है। परन्तु अपील पत्रावली में प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2075–78 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबनदी में नोट संख्या 06 दिनांक 06.05.2024 से विवादित आराजी पर सभी काश्तकारो को रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का नोट अंकित कर दिया है, जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल, विवादित आराजी में रैस्पो0 संख्या 02 खिल्लो के हिस्से में से रैस्पो0 संख्या 01 दरब सिंह को मिलने वाले हिस्से तक ही स्थगन जारी किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से केवल रैस्पो0 संख्या 02 खिल्लो ही पाबन्द हैं। शेष सहखातेदार अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से पाबन्द नहीं है। इसके अलावा रैस्पो0 संख्या 01 द्वारा अपीलाण्ट व अन्य सहखातेदारो को प्रकरण में पक्षकार मुकदमा भी नहीं बनाया है एवं ना ही उनसे कोई अनुतोष ही चाहा है। चूंकि प्रकरण के सभी तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट हो चुके हैं। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किये जाने की आवश्यकता महसूस ना करते हुये, इसी स्तर पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं। अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। वैसे तो अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश स्पष्ट है परन्तु उसे और अधिक सुस्पष्ट करने के लिये हम यहॉ यह उल्लेखनीय समझते हैं कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से मुक्त किया जाता है एवं तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वह जमाबन्दी में नोट संख्या 06 दिनांक 06.05.2024 में सभी काश्तकार को पाबन्द करने के नोट में आंशिक संशोधन करते हुये, विवादित आराजी में केवल रैस्पो0 संख्या 02 खिल्लो के हिस्से में से रैस्पो0 संख्या 01 के बनने वाले नोशनल शेयर तक ही रिकार्ड व मौके की यथास्थिति से केवल रैस्पो0 संख्या 02 खिल्लो को ही पाबन्द करने का नोट अंकित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलाश सुनाया गया। (मुनिदेव यादव) भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर	